

विश्वभारती
शांतिनिकेतन

कार्यालय-आदेश

अधोहस्ताक्षरी सर्व संबंधित को सूचित करता है कि निम्नलिखित संप्रेषण सक्षम प्राधिकारी के द्वारा हो :

1. विश्वविद्यालय के सभी अतिथि गृह (ग्रंथन विभाग, कोलकाता सहित) प्रशासनिक अधिकारिता के तहत एवं सहायक कुलसचिव (पीआरओ) के नियंत्रण में रहेंगे। पीआरओ अतिथि गृह प्रशासन से संबंधित सभी विषय पर कुलसचिव को रिपोर्ट करेंगे।
2. विश्वविद्यालय अतिथि गृह (ग्रंथन विभाग, कोलकाता सहित)) सभी बुकिंग हेतु आवश्यक मंजूरी के लिए जनसंपर्क कार्यालय (पीआरओ) को ही संबोधित करें।

ज्ञापन सं. आरईजी/का.आ./89/950

दिनांक : 02.07.2019

हस्ता./-

कुलसचिव (कार्यकारी)

विश्वभारती

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित:

1. सभी निदेशक/भवनों के प्रिंसिपल/विभाग
2. सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक विभागाध्यक्ष/केंद्र/अनुभाग/कार्यालय
3. प्रोक्टर
4. छात्र कल्याण के अध्यक्ष
5. सुरक्षा के संकाय प्रभारी
6. वित्त अधिकारी
7. सभी संयुक्त कुलसचिव/जेएफओ/उप कुलसचिव/आईएओ/सहा. कुलसचिव
8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ मुख्य सुरक्षा अधिकारी/ विश्वविद्यालय अभियंता
9. कुलपति के गोपनीय सचिव
10. कुलसचिव के निजी सचिव
11. हिंदी अधिकारी - हिंदी अनुवाद कर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करें।
12. विश्वविद्यालय वेबमास्टर - विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।